विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के परिवारों को आवास स्थल दिए गए हैं, उनकी संख्या
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
2.	असम	7,834
3.	बिहार	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
4.	गुजरात	1,51,921
5.	हरियाणा	1,36,130
6.	हिमाचल प्रदेश	2,556
7.	जम्मू व कश्मीर	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
8.	कर्नाटक	2,59,727
9.	केरल	28,760
10.	मध्य प्रदेश	4,54,862
11.	महाराष्ट्र	1,63,800
12.	उड़ीसा	31,278
13.	पंजाब	*.
14.	राजस्थान	6,11,820
15.	तमिल नाडु	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
16.	त्रिपुरा	ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए
17.	उत्तर प्रदेश	9,93,816
18.	पश्चिम बंगाल	1,77,787
1	2	3
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	कुछ नहीं
2.	चण्डीगढ़	13
3.	दादर तथा नागर हवेली	715
4.	दिल्ली	5,934
5.	गोआ, दमण तथा दीव	318
6.	पांडिचेरी	1,138

*इस राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आबंटित आवास-स्थलों के पृथक आंकड़े नहीं रख रहे हैं क्योंकि इस योजना में आवास स्थलों के आवंटन के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों में कोई अन्तर नहीं है। तथापि, राज्य सरकार का अनुमान है कि जिन परिवारों को आवास-स्थल दिये गए है उनमें से लगभग 75 प्र० श० परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। इस आधार पर पंजाब में अनुसूचित जाति/जन जाति के लगभग 2.25 लाख परिवारों को आवास-स्थल दिए गए हैं।

आलू का उत्पादन

2520. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : रोग मुक्त आलू के बीजों की सप्लाई, उत्पादन बढ़ाने का एक अत्यंत

महत्वपूर्ण घटक है। बीज उत्पादन के कार्यक्रम तथा विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं की प्रति वर्ष दो बार समुचित रूप से जांच पड़ताल की जाती है। विभिन्न संगठनों और देश के राज्यों द्वारा प्रजनक, आधारी चरण 1, आधारी चरण 2 तथा प्रमाणित बीजों के किस्मवार उत्पादन कार्यक्रम सावधानीपूर्वक बनाये जाते हैं। इस प्रकार अधिक मात्रा में पैदा किए गए बीजों को उत्पादकों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निम्नलिखित उपायों द्वारा आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक अधिक अभिप्रेरणात्मक अभियान चलायें :—

(1) बड़े क्षेत्रों में पूरी पैकेज प्रणालियों को अपनाना।

(2) आलू की उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, तथा

(3) फसल के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना।

तथापि, आलू के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश

2521. **श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश क नियम क्या हैं ;

(ख) क्या वहां प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की उपेक्षा कर दूसरी और तीसरी श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले के नियम, जिनका उल्लेख सामान्य सूचना बुलेटिन 1977-78 में किया गया है को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल टी-1261/77]

(ख) और (ग). अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शिक्षा परिषद् द्वारा 6 अगस्त, 1977 को हुई अपनी बैठक में दाखिले के लिये निम्नलिखित प्राथमिकताएं अनुमोदित की गई थी।

प्रथम प्राथमिकता :

प्रथम प्राथमिकता में विश्वविद्यालय के I और II श्रेणी के छात्र तथा अन्य विश्वविद्यालयों/बोर्डों के I श्रेणी के छात्रों को दाखिल किया जाता है। तथापि यदि किसी विशेष विषय/पाठ्यक्रम में स्थान आन्तरिक छात्रों द्वारा भरे जाते हैं तो उस विषय/पाठ्यक्रम के अन्तर्ग्रहण से 10% अधिक छात्र अन्य विश्वविद्यालयों/बोर्डों के I श्रेणी के छात्रों में से लिए जाएंगे।

द्वितीय प्राथमिकता :

I श्रेणी के बाहर के उम्मीदवार।

तृतीय प्राथमिकता :

सभी आन्तरिक, पात्र उम्मीदवार।

चौथी प्राथमिकता :

बाहर के उम्मीदवार-योग्यता के आधार पर।